रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सं० 172] नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 1996/वैशाख 30, 1918

No. 172] NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 1996/VAISAKHA 30, 1918

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 20 मई, 1996

सा. का. नि. 222(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 11 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 121(अ) में :—

पृष्ठ 1 पर, दाएं कालम में,—

(i) पहली पंक्ति में —"प्रारूप नियम" शब्दों के स्थान पर "नियम" पढ़ें ।

(ii) नियम 1(1) में, "प्रथम (संशोधन) नियम" के स्थान पर "(प्रथम संशोधन) नियम" पढ़ें ।

(iii) नियम 1(2) में, "सिवाय नियम 3 के" शब्दों के स्थान पर "सिवाय नियम 3 और 4 के" पढ़ें ।

(iv) नियम 2 में, "नियम 27" के स्थान पर "नियम 29" पढ़ें ।

(v) नियम 3(1) में, "शिक्षुओं" के स्थान पर "शिशुओं" पढ़ें ।

पृष्ठ 2, बाएं कालम में,—

(i) नियम 4(1) में,—

"(1ग) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु" शब्दों के स्थान पर "1-ग शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु खाद्य" शब्द पढ़ें ।

(ii) नियम 4(2) में,—

मद II (क) के सामने की प्रविष्टि में "5.0" पढ़ा जाए ।

(iii) नियम 5, पहली पंक्ति में,—

"नियम ख-ग" के स्थान पर नियम "61-ग" पढ़ा जाए ।

पृष्ठ 2, दाएं कालम में,—

पहली पंक्ति में—
"मद क 15.04" शब्दों के स्थान पर
"मद क 16.04" शब्द पढ़े जाएं ।

चौथी पंक्ति में,—

"नियम 42 के खंड यययय(8)" शब्दों के स्थान पर "नियम 42 के उपनियम यययय(8)" शब्द पढ़े जाएं ।

[सं. पी.-15014/4/94-पी. एच. (खाद्य)]

रेणु साहनी धर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th May, 1996

G.S.R. 222(E).—In the notification of Govt. of India in the Ministry of Health & Family Welfare (Deptt. of Health) No. G.S.R. 121(E), dated 11-3-1996 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 1—8 of Gazette of India.

At page 5, Rule 4(1), column (i-d), the words "Tarmaric whole" shall be read as "Turmeric whole".

[No. P-15014/4/94-PH(Food)]

RENU SAHNI DHAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1996